



2026:AHC:128977

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 20081 सन् 2026

राकेश पासवान

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी पक्षकार (गण)

आवेदक के अधिवक्ता : विनय कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 179 वर्ष 2026, धारा 139(1), 3(5) एवं 115(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना गगहा, जनपद गोरखपुर में पंजीकृत प्रकरण में विचारण के लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को नामजद नहीं किया गया है। आवेदक के विरुद्ध ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिवाय इसके कि वह उस व्यक्ति के साथ था, जिसे वाहन के स्वामी के भाई चन्दन साहनी द्वारा वाहन उपलब्ध कराया गया था। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह दिनांक 28.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का किसी प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया।

5. अपराध की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों, अभियुक्त की कथित संलिप्तता, संभावित दण्ड की गंभीरता, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा प्रकरण के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मैं इस सुविचारित मत पर पहुँचा हूँ कि आवेदक ने जमानत प्राप्त करने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार प्रस्तुत किया है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में निरुद्ध आवेदक **राकेश पासवान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के एक व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा दो सक्षम प्रतिभूतियों प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक उस अपराध के समान किसी अन्य अपराध का, जिसके लिए वह अभियुक्त है अथवा जिसके किए जाने का उस पर संदेह है, स्वयं कारित नहीं करेगा और न ही उसके किए जाने में किसी प्रकार की सहभागिता करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो इस मामले के तथ्यों से परिचित हो, को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए। साथ ही, वह किसी भी प्रकार से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक एक लिखित प्रतिज्ञापत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे, उस दिन वह किसी भी प्रकार का स्थगन नहीं माँगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर, चाहे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से, उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 229-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 है) के अंतर्गत विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(v) यदि विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 है) के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जाती है तथा उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर भी आवेदक न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 174-ए (जिसके समतुल्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 है) के अंतर्गत विधि के अनुसार कार्यवाही प्रारम्भ करेगा।

(vi) आवेदक निम्नलिखित अवसरों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा (1) वाद के उद्घाटन के समय, (2) आरोप विरचित किए जाने के समय, तथा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (जिसके समतुल्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 है) के अंतर्गत उसका कथन दर्ज किए जाने के समय। यदि विचारण न्यायालय की राय में उक्त अवसरों पर आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानते हुए उसके विरुद्ध विधि के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

7. यदि उपर्युक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो वह विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई प्रत्येक बात केवल वर्तमान जमानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण के उद्देश्य तक ही सीमित है तथा इसे किसी भी प्रकार से वाद के गुण-दोष पर न्यायालय की राय अथवा अभिमत के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित रहते हुए, विचारण के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर स्वतंत्र रूप से अपने निष्कर्ष निकालने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र रहेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति तेज प्रताप तिवारी)

दिनांक : 24 जून, 2026

टी.एस.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।